



**Phone & Fax:— 0135-2530467, 2530431**

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'ख' वर्ग



उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail- [estbdehradun@gmail.com](mailto:estbdehradun@gmail.com)

पत्रांक:— २६५/०५व्यख-स्थानान्तरण/२४

दिनांक-३१/०८/२०२४

::कार्यालय-ज्ञापः:

स्थानान्तरण अधिनियम २०१७ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र २०२४-२५ हेतु शासनादेश संख्या-१९८७३९/XXX(२)/E-३३०८० दि० १४.०३.२०२४, शासनादेश संख्या-२२१२७८/XXX(२)/२०२४/E-३३०८० दि० २८.०६.२०२४, शासनादेश संख्या-२२३५२६/XXX(२)/२०२४/E-३३०८० दि० ०८.०७.२०२४ एवं शा०सं०-१/२२९२६५/XXX(२)/२०२४/E-३३०८० दि० ३१.०७.२०२४ के अनुपालन में वृत्तीय संवर्ग में तैनात निम्नलिखित कार्मिकों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या-५ में उल्लेखित नवीन स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं-

क्रम सं०	नाम सर्व श्री	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	कार्यहित/निजीहित	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
१	२	३	४	५	६	७
<b>वृत्तीय संवर्ग</b>						
१	श्री योगेश चन्द्र वैला	प्रशासनिक अधिकारी	तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़	द्वितीय वृत्त लो०नि०वि० नैनीताल	कार्यहित	धारा १७ (१) (ग)
२	श्री प्रदीप चन्द्र पाण्डे	प्रधान सहायक	प्रथम वृत्त लो०नि०वि० अल्मोडा	चतुर्थ वृत्त लो०नि०वि० रूद्रपुर	निजीहित	धारा १७ (१) (ख) (एक)
३	श्री विनोद राणा	प्रधान सहायक	पांचवाँ वि०/या० वृत्त लो०नि०वि० हल्द्वानी	आठवाँ वृत्त लो०नि०वि० टिहरी	निजीहित	धारा १७ (१) (ख) (७)
४	श्री पवन सिंह	वरिष्ठ सहायक	आठवाँ वृत्त लो०नि०वि० टिहरी	चतुर्थ वृत्त लो०नि०वि० रूद्रपुर	कार्यहित	धारा १७ (१) (ग)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के १० दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

- 4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

**Signed by Deepak Kumar  
Yadav**

(इं० दीपक कुमार यादव)

**Date: 31-08-2024 19:55:30**

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा०मा०, लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ..... वां वृत्त, लो०नि०वि०.....।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,.....।
5. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
6. सम्बन्धित कार्मिक श्री .....लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड पत्रावली।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष